

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण(बेतिया)/पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी)/
गोपालगंज/ भोजपुर(आरा)/समस्तीपुर/लखीसराय/शेखपुरा।

पटना, दिनांक:- 12-10-18

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या- 26-
उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26-
2230011140102) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3373 दिनांक-14.05.18 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में 31 मार्च 2019 तक व्यय के निमित्त "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रु. 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	विषयशीर्ष	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1.	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	01	0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	100000/- (एक लाख)	सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, प. चंपारण(बेतिया) के पत्रांक-97 दि.-28.08.18 के आलोक में स्व. सुनिल यादव, आश्रित श्री रामनरेश यादव (पिता) ग्रा.-भेड़िहारी टोला जगीराहॉ, प्रखण्ड-ठकराहॉ, जिला-पश्चिम चंपारण (बेतिया) के भुगतान हेतु।
2	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण के पत्रांक-956 दि.-26.09.18 के आलोक में स्व. शंकर मुखिया, आश्रित सुनैनी देवी (पत्नी) ग्रा.-हसुआहां, पो.-रूपडीह, थाना- मु. मोतिहारी, प्रखण्ड-मोतिहारी, जिला-पूर्वी चंपारण के भुगतान हेतु।
3	गोपालगंज	04	तदैव	400000/- (चार लाख)	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक-472, 474, 476 तीनों दि.-12.09.18 एवं 490 दि.-24.09.18 के आलोक में (1) स्व. राजकुमार पाण्डेय, आश्रित अनिता देवी (पत्नी) ग्रा.+पो.-सरफरा, थाना+प्रखण्ड-बरौली, जिला-गोपालगंज (2) स्व. पंकज कुमार सिंह, आश्रित सुरेश सिंह(पिता) ग्रा.-बुचेया, पो.+थाना+प्रखण्ड-सिधवलिया, जिला-गोपालगंज (3) स्व. मुनिब कुमार साह, आश्रित रघुनाथ साह (पिता) ग्रा.+पो.-उसरी, थाना+प्रखण्ड-बैंकुण्ठपुर, जिला-गोपालगंज (4) स्व. लालबाबू प्रसाद, आश्रित रीना देवी (पत्नी) ग्रा.+पो.-सिकटिया, थाना-सिधवलिया, प्रखण्ड-बरौली, जिला-गोपालगंज के भुगतान हेतु।
4	भोजपुर (आरा)	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक-839 दि.-26.09.18 के आलोक में स्व. सुखदेव सिंह, पिता कृष्णा सिंह आश्रित रूनी देवी (पत्नी) ग्रा.+पो.-डिलियां, थाना-चौरी, प्रखण्ड-अगिआंव, जिला- भोजपुर के भुगतान हेतु।
5	समस्तीपुर	02	तदैव	200000/- (दो लाख)	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापांक-689 एवं 690 दोनों दि.-24.09.18 के आलोक में (1) स्व. दिनश कुमार सिंह, आश्रित ललिता देवी (पत्नी) ग्रा.+पो.-कराई, थाना+ प्रखण्ड-विभुतिपुर, जिला-समस्तीपुर (2) स्व. संतोष कुमार, पिता श्री बाबु प्रसाद राय, आश्रित मिणा देवी (माता) ग्रा.-डीहटभका, पो.-पंडित टोल, थाना+ प्रखण्ड- विभुतिपुर, जिला-समस्तीपुर के भुगतान हेतु।

6	लखीसराय	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक-360 दि.-12.10.18 के आलोक में स्व. धनंजय पांडे आश्रित मसो. नीतु देवी (पत्नी) ग्रा.-नरोत्तमपुर(विक्रमपुर), थाना+पो.-कजरा, जिला-लखीसराय के भुगतान हेतु।
7	शेखपुरा	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के ज्ञापांक-424 दि.-03.10.18 के आलोक में स्व. राजू कुमार, आश्रित सिंहता देवी (माता) ग्रा.-गडुआ, पो.-चकन्दरा थाना+प्रखण्ड-चेवाड़ा, जिला- शेखपुरा के भुगतान हेतु।
	कुल	11		1100000/-	

कुल आवंटित राशि ₹ 11,00,000/- (₹ ग्यारह लाख) मात्र ।

2. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत नियमानुसार जाँच पड़ताल कर उन्हीं मृत/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांशित नहीं किया गया हो। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।
3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.18, 3244/वि. दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है।
4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
6. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.7.16 के आलोक में लाभूकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
7. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-6903 दिनांक-13.09.18 के आलोक में CFMS Software से निर्गत न कर मैनुअली निर्गत किया जा रहा है।
8. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।

विश्वासभाजन
12/10/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-308/18 श्र0सं0- 102 पटना, दिनांक 12-10-18
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/10/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-308/18 श्र0सं0- 102 पटना, दिनांक- 12-10-18
प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 को उनके गै.सं.प्रे.सं.-394 दिनांक-04.10.18 तथा 404 एवं 406 (श्रम पक्ष) दोनों दिनांक-09.10.18 तथा 414 (श्रम पक्ष) दिनांक-14.10.18 के आलोक में/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ प्रशाखा-6, बजट शाखा (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा प्रशाखा-01 (श्रमपक्ष) द्वारा किया जायेगा।

12/10/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।